प्रेस विज्ञप्ति

22.05.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने 263 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 20.05.2024 को पुरषोत्तम चव्हाण नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुरषोत्तम चव्हाण अपराध के आगम (पीओसी) के हिस्से पर कब्ज़ा करने में शामिल था। इससे पहले इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, अर्थात् तानाजी मंडल अधिकारी, भूषण पाटिल और राजेश शेट्टी जो न्यायिक हिरासत में हैं और राजेश बृजलाल बटरेजा ईडी की हिरासत में हैं।

ईडी ने तानाजी मंडल अधिकारी और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत आयकर विभाग से धोखाधड़ी से 263.95 करोड़ रू. के टीडीएस रिफंड बनाने और जारी करने के लिए सीबीआई, दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि राजेश बृजलाल बटरेजा और पुरषोत्तम चव्हाण नियमित रूप से संपर्क में थे और हवाला लेनदेन और पीओसी के डायवर्जन से संबंधित आपत्तिजनक संदेश साझा करते थे।

19.05.2024 को पुरषोत्तम चव्हाण के आवासीय परिसर में भी तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें कई संपत्ति दस्तावेज, विदेशी मुद्रा और मोबाइल फोन बरामद किए गए और जब्त किए गए। यह भी पाया गया कि पुरषोत्तम चव्हाण ने सबूतों को नष्ट करके जांच में बाधा डालने की कोशिश की, जिससे पीओसी का पता लगाया जा सके। नतीजतन, पुरषोत्तम चव्हाण को 20.05.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत पीओसी से निपटने में उनकी भागीदारी के लिए गिरफ्तार किया गया था और 20.05.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष पेश किया गया था। माननीय न्यायालय ने 27.05.2024 तक ईडी की हिरासत दे दी है।

इससे पहले इस मामले में अब तक 168 करोड़ रुपये की अचल/चल संपत्ति की पहचान की गई है और जब्त/कुर्क किया गया है। तानाजी मंडल अधिकारी और 10 अन्य के खिलाफ 11.09.2023 को अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है, जिसका संज्ञान माननीय विशेष (पीएमएलए) न्यायालय ने भी लिया था।

आगे की जांच जारी है।